

RAJYA SABHA

Thursday, the 16th August, 1984/25
Shravana, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

REFERENCE TO THE REPORTED DEFLECTIONS IN ANDHRA PRADESH

SHR[SURESH KALMADI (Maharashtra): I have given the notice for taking up the Andhra Pradesh issue. Massiv* defections caused by Congress(I) in Andhra Pradesh. ... (Interruptions). What happened to my notice? I have given a notice. What is the fate of the notice? There is mass-defection. Say, yes or no. (Interruptions)

SHR' B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Chief Minister, Andhra Pradesh, has requested the Governor to convene the Assembly on 18th. The Governor must call the Assembly on the 18th. (Interruptions).

SHRI SURESH KALMADI: We want your presence at 12.00 O'clock.

MR. CHAIRMAN: We will see.
Question No. 341.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Statutory status to the Minorities Commission

*341. SHRI SYED AHMAD

HASHML-

SHRI RAOOF VALIULLAH:

V/ill the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to grant statutory status to the Minorities Commission; and

(The question was actually asked on the floor of the House by Shri Syed Ahmad Hashmi.

1037 RS—1.

(b) if so, by when action is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA):

(a) and (b) The various aspects anti implications of the proposal are under consideration of the Government.

श्री सयद अहमद हाशमी: मुझे हर्षत है कि आज 6 साल के बाद भी गवर्नमेंट इस पॉजिशन में नहीं है कि पूरे तरीके से एक्जोरस दे या कमिटीमें करे। मुझे नहीं मालूम कि अगर माइनॉरिटी कमीशन का मकसद यह है कि कुछ पर्सोना रिटायर्ड लोगों का एक्कोमोडेट करना है तो बात दूसरी है। वरना जब तक इस स्टेट्यूटरी गवर्न न हो या उसकी रिक्मंडेशन पार्लियामेंट के अन्दर जेनेरेशन न हो कम से कम, गुजिस्ता साल, 83 के अन्दर माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी रिक्मंडेशन दी, रिपोर्ट दी लेकिन एक साल पूरा गुजरने के बाद यानी 84 के अन्दर लोक सभा के अन्दर पेश नहीं हुई और राज्य सभा के अन्दर नहीं आई। आप गौर करें कि बहुत से ऐसे मसाले हैं जिनके अन्दर अन्दाजा यह होता है कि माइनॉरिटी कमीशन का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। यहाँ तक कि इसके बसाओकात या जो उद्देश्य तक किरदार रहा, वह इस्तेमाल में नहीं रहा मीन मर्यानी जी जो इसके एहल चयनमें थे, महज इसलिए उनका इस्तीफा देना पड़ा कि म्निमिलिटी एक्ट के बारे में उनका इस्तेमाल नहीं रह गया था। एक तरफ तो यह सूरतहाल है और दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि वह माइनॉरिटी कमीशन जो कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन, उनकी डिमान्ड उनके मुतालकात के उल्लेख और उनके तथा जायज तौर पर माइनॉरिटी के जवाबों को नुमाइन्दगी के लिए मुकदमों में जमा गया था, ताकी हमें उस मसाले पर सज्जी दगी से गौर करें, मैं समझता हूँ उसका इस्तेमाल जब नहीं होता रहा। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन के चयनमें जब ऐसे कन्वेंशनल मामलों के अन्दर जो मसलमनों के सजहबी दोनी जजबानी परमेलता या के अन्दर अपनी राय देने लगे... (अवधान) मैं बता रहा हूँ माइनॉरिटी कमीशन का मकसद क्या है।

श्री सभापति: سوال پڑھیں۔ (بھیادان)

श्री संयद अहमद हाशमी: इनके कहे बिना سوال पूछ ही नहीं सकता। बसा आकात और पार्लिकल आबरखन में मियासी मामलों के अन्दर हमारे माइनॉरिटी कमीशन ने शय दैनी शुरू की और सूरत हाल यह भी है कि पंजाब में इतना बड़ा हादसा हां जाने के बाद भी माइनॉरिटी कमीशन वहां पर नहीं पहुंचा और न उसके बारे में कोई राय दी। आन दी होल सूरतहाल यह है कि जब एक स्टेटचरी पावर उसका नहीं मिलती उसकी रिकमंडेशन या उसकी सिफारिशत पार्लियामेंट के अन्दर डिबेट में नहीं आती तब तक उसका मकसद बेकार है। जो मने सूरतहाल बयान की मैं समझता हूँ यह इस दर्जे पर पहुंच गया है कि मुल्क के अन्दर यह महसूस होने लगा कि माइनॉरिटी एक मजाक है और उसके फायदे का कोई सवाल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे मुल्क के अन्दर दूसरे कमीशन बने और आज तक उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ।

श्री सभापति: سوال क्या किसा आपने?

श्री संयद अहमद हाशमी: سوال यह किया कि इसका मकसद क्या है। इस सूरत हाल के अन्दर जब कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इस माइनॉरिटी कमीशन का साकायदा बाकी रहने का क्या मकसद है। जबकि इस पोजीशन में गवर्नमेंट नहीं है कि कोई कमिट करे। माइनॉरिटी आसपेक्ट्स पर 6 साल से गौर हो रहा है लेकिन आज कोई कनमिटमेंट नहीं कर सकते इसका क्या मकसद है। जो शुरू में कमिटमेंट था कि स्टेटचरी पावर दी जायेगी, इसका कानूनी रिकोगनिशन होगा तो क्या इस सिच्यूएशन में गवर्नमेंट है कि इस कमिटमेंट को पूरा करे?

†[] Transliteration in Arabic script

حیرت ہے کہ آج چھ سال کے بعد بھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے طریقے سے ایشرورنس دے رہا کمنیٹمنٹ کرے۔ مجھے معلوم

نہیں کہ اگر مائینارٹی کمیشن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پسماندہ ریٹائرڈ لوگوں کو اڈوموڈیٹ کرنا ہے تو بات دوسری ہے۔ ورنہ جب تک اسے سٹیٹوچری پاور نہ ہو یا اس کی رکنڈیشن پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث نہ ہو۔ کم سے کم گزشتہ سال ۸۳ کے اندر مائینارٹی کمیشن نے ایلی رکنڈیشن دی۔ رپورٹ دی۔ لیکن ایک سال پورا گزرنے کے بعد یعنی ۸۴ کے اندر لوگ سبھا کے اندر پیش ہوئی اور واجیہ سبھا کے اندر نہیں آئی۔ آپ فور کریں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جسکے اندر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مائینارٹی کمیشن کا کوئی استعمال نہیں ہے یہاں تک کہ اسکے بسا اوقات کا جو اب تک کا کردار رہا وہ استعمال میں نہیں رہا۔ میلو مسائی جی جو اسکے پہلے چھٹرمیں تھے بعض اُس لئے ان کو استعمال دینا ہوا کہ میونسپلٹی ایکٹ کے بارے میں اسکا استعمال نہیں رہ گیا تھا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ مائینارٹی کمیشن جو کہ مائینارٹی کے پروٹیکشن ان کی قیماندہ۔ انکے مطالبات کے اوپر فور کرے اور جائز طور پر مائینارٹی جذبات کی نمائندگی کوئے مقرر کھا کھا تھا تاکہ ہمیشہ ان مسائل پر مقررہ کی سے غور کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا استعمال اب صحیح نہیں رہا۔ اس لئے مائینارٹی کمیشن

کے چیئرمین جب ایسے کنگرو ورشیل
معاملے کے اندر جو مسلمانوں کے
مذہبی - دینی - جذباتی - پرسنل
لا کے اندر اپنی رائے دینے لگے.....
(مداخلت)..... میں بتا رہا ہوں
مائنارٹی کمیشن کا مقصد کیا ہے -

†[شری سبھا پتی : سوال پوچھتے

.....(مداخلت).....]

†[شری سید احمد ہاشمی : ان کے
کہے بلکہ سوال پوچھ ہی نہیں سکتا -
بسا اوقات اور پالیٹیکل آور ٹون
میں سیاسی معاملوں کے اندر ہمارے
مائنارٹی کمیشن نے رائے دینی شروع
کی - اور صورتحال یہ بھی ہے کہ
پاکستان میں اتنا بڑا حادثہ ہو جانے
کے بعد بھی مائنارٹی کمیشن وہاں
پر نہیں پہنچا اور نہ اس کے بارے
میں کوئی رائے دی وہ اون دن ہولہ
صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس
استیوچر پر بار ان کو نہیں ملتی
اسکی رکنڈیشن یا اسکی سفارشات
پارلیمنٹ کے اندر قیامت میں نہیں
آتی تب تک اسکا مقصد بیکار ہے -
جو میں نے صورتحال بیان کی میں
سمجھتا ہوں یہ اس درجہ پر پہنچ
گیا ہے کہ ملک کے اندر یہ محسوس
ہونے لگا کہ مائنارٹی ایک مذاق ہے
اور اس کے فائدے کا کوئی سوال نہیں

†[] Transliteration in Arabic
script.

ہے - ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے
ملک کے اندر دوسرے کمیشن بلے اور
آج تک ان کا کوئی استعمال نہیں
ہوا -]

†[شری سبھا پتی : سوال کیا کیا

آپ نے ?]

†[شری سید احمد ہاشمی : سوال

یہ کیا کہ اسکا مقصد کیا ہے - اس
صورتحال کے اندر جب کہ اسکا کوئی
استعمال نہیں ہے - اس مہان مائنارٹی
کمیشن کا باقاعدہ ہائی رولے کا کیا
مقصد ہے - جب کہ اس پوزیشن میں
گورنمنٹ نہیں ہے کہ کوئی کمٹ
کرے - مائنارٹی آپیکٹس پر چھ
سال سے غور ہو رہا ہے لیکن آج کوئی
کمٹینٹ نہیں کر سکتے اس کا کیا
مقصد ہے - جو شروع میں کمٹینٹ
نہا استیوچر پر بار دی جائیکی اسکا
قانونی رکنڈیشن ہوگا تو کیا اس
سٹیوایشن میں گورنمنٹ ہے کہ اس
کمٹینٹ کو پورا کرے -]

SHRIMATI RAM DULARI SINHA:
The Minorities Commission was set
up by the Janata Government in 1978
under executive order and since then
the same arrangements are continu-
ing. As I have stated just now, the
question regarding giving statutory
or constitutional status to the Com-
mission is, however, under the consi-
deration of the Government.

†[] Transliteration in Arabic
script.

श्री सयब अहमद हाशमी : यह तो वही बात है कि जिस पर मैंने दतराज किया था। कोई कमिटीमें नहीं है। आज 6 साल से बही हो रहा है कि इस पर गौर किया जायगा, लेकिन कोई कमिटीमें नहीं है। मेरा सीधा सबाल यह है कि 6 साल का पूरा करेक्टर जो माइनारिटीज कमीशन का गजरा है क्या उस के बाद भी हुकूमत की यह राय है कि उस का कोई फायदा है और अकलियता के हुकूकों की हिफाजत या उन के जायज मत-लबात की नुमाइंदगी के लिये कोई हुक रखता है या कोई जबाब रखता है। इस के साथ ही एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि माइनारिटीज कमीशन का जो पहले कंसेशन था उस के चेंबरमैन को ही उस से एक्लि-लाफ है और वह कहते हैं कि हुयूमन राइट्स कमीशन बनना चाहिए। इसके बारे में हुकूमत का कोई मतलब है?

†[شیر سید احمد ہاشمی : یہ تو

وہی بات ہے کہ جس پر میں نے اعتراض کیا تھا۔ کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ آج چھ سال سے یہی ہو رہا ہے کہ اس پر غور کیا جائیگا لیکن کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ میرا سبوال سوال یہ ہے کہ چھ سال کا پورا کریکٹر جو مائنارٹیز کمیشن کا گزرا ہے کیا اسکے بعد یہی حکومت کی یہ رائے ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت یا ان کے جائز مطالبات کی نمائندگی کیلئے وہ کوئی حق رکھتا ہے یا کوئی جواب رکھتا ہے۔ اسکے ساتھ ہی میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کمیشن کا جو پہلے کنسیوشن تھا اسکے چیئرمین کو ہی اس سے اختلاف

ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے رائٹس کمیشن بنانا چاہئے۔ اسکے بارے میں حکومت کا کوئی مطالبہ ہے۔

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इतनी लम्बी चाँड़ी तारीख सुनाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन इस बारे में एक बार यहाँ बिल आया था और वह पास नहीं हो पाया। इस का मतलब है कि पार्लियामेंट में भी इस के मूआफिक राय नहीं थी। अब देखना है कि क्या हो सकता है और इस बीच मैं हम न इस कमीशन को काफी स्टाफ दे कर उन से काम कराने की कोशिश की है और कर रहे हैं। यह सब चल रहा है।

श्री सयब अहमद हाशमी : क्या इस सिचुयेशन में जो पूरे 6 साल का इस का करेक्टर है, माइनारिटीज कमीशन का, यह सही है कि उस का कोई फंक्शन नहीं था। इस पिछले 6 साल के अंदर उस का कोई काम नहीं था।

†[شیر سید احمد ہاشمی : کیا

اس سچوایٹن میں جو پورے چھ سال کا اسکا کریکٹر ہے۔ مائنارٹیز کمیشن کا یہ صحیح ہے کہ اس کا کوئی فونکشن نہیں تھا۔ ان پچھلے چھ سال کے اندر اس کا کوئی کام نہیں تھا۔

श्री सभापति : जवाब तो कायम है कि वह गौर कर रहे हैं।

श्री सयब अहमद हाशमी : बिल्कुल बहलावा है। कोई फायदा नहीं इससे। बेहतर हो कि हुकूमत वह दे कि हम इसको खत्म कर रहे हैं। क्या बावर्हि माइनारिटीज कमीशन के फंक्शन से हुकूमत मुतमइन है? इस के अन्दर यह सबाल है। इस का जवाब नहीं दिया गया।

†[شری سید احمد ہاشمی : بالکل

بھلاوا ہے - کوئی فائدہ نہیں اس سے -
بہتر ہو کہ حکومت کہے کہ ہم
اسکو ختم کر رہے ہیں - کہا واقعی
مائنارٹیز کمیشن کے فنکشن سے حکومت
مطمئن ہے - اس کے اندر یہ سوال ہے -
اس کا جواب نہیں دیا گیا -]

श्री सभापति : जवाब दे दिया गया है ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : बिल्कुल
गैर जरूरी जवाब है । क्या माइनारिटीज
कमीशन के फंक्शन से जो पिछले 6 साल
से उनके रहे हैं । यह हुकूमत मुतमईन
है ? अगर आप मुतमईन है तो उसे बाकी
रहना चाहिए नहीं तो उनका कोई सबाल
नहीं, उनके रहने का कोई फायदा नहीं ।

†[شری سید احمد ہاشمی : بالکل

غیر ضروری جواب ہے - کہا مائنارٹیز
کمیشن کے فنکشن سے جو 6 سال
سے ان کے رہے ہیں یہ حکومت
مطمئن ہے اگر آپ مطمئن ہیں تو
اسے باقی رکھنا چاہئے نہیں تو اس کا
کوئی سوال نہیں - اس کے رہنے کا کوئی
فائدہ نہیں -]

श्री सभापति : क्या आप अपने जवाब
से मुतमईन हैं ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं अपने
जवाब से अकर मुतमईन हूँ ।

SHRI RAOOF VALIQLLAH:
Pending the conferment of constitu-
tional status on the Minorities Com-
mission, will the Government accept

the recommendation of the Commis-
sion to confer upon it powers of in-
vestigation contained in section 5 of
the Commission of Inquiry Act by an
appropriate notification under sec-
tion 3 of the Act?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA:

The Commission has recommended—
I can elaborate some of the main
recommendations— 1) better organi-
sational system for the Commission;
(2) constitutional or statutory status
for the Commission; (3) powers of
investigation under the Commission
of Inquiry Act, 1952 for the Com-
mission; and (4) setting up a com-
prehensive National Integration-cum-
Human Rights Commission.

As regards setting up a National
Integration-cum-Human Rights Com-
mission, the proposal itself is not
very clearly spelt out and even the
Commission itself in its report has
said that the matter requires fuller
study to frame an elaborate scheme
to carry out the objectives involved,
in this recommendation.

श्री अखंड मदनी : पिछले सेशन में
होम मिनिस्टर साहब ने यकीनदहानी
की थी कि जो कई माइनारिटीज कमीशन
दने हैं उन की रिपोर्ट्स आने में समय
लगेगा लेकिन खासकर गोपाल सिंह साहब
को सदारत में जो कमीशन बना था उसने
की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों के साम
नहीं आयी है । उस यकीनदहानी को पुर
करने की गरज से वह रिपोर्ट हाउस के
सामने आना चाहिए ।

†[شری اسعد مدنی : یہ سوال سید

میں ہوم منسٹر صاحب نے یقین
دہانی کی تھی کہ جو کئی مائنارٹیز
کمیشن بلے ہیں ان کی رپورٹ آنے
میں وقفہ لگے گا - لیکن خاص کر

کوپال سلگم صاحب کی صدارت میں
جو کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ
ابھی تک ہم اوکوں کے سامنے نہیں
آئی ہے۔ اس یقین دہانی کو پورا
کرنے کی غرض سے وہ رپورٹ ہاؤس
کے سامنے آئی چاہئے۔

SHRI P. V. NARASIMHA RAO:
Sir, I shall find out. I am not aware
of it. But I shall take note of the
suggestion. I have no objection to
any debate as such. We are pre-
pared for it.

श्री ग़लाम रसूल कार : मैं आनरेबल
होम मिनिस्टर साहब से यह दर्यापत
करना चाहता हूँ कि क्या यह वाक्या है कि
प्राइम मिनिस्टर साहिबा की तरफ से
एक 15 नुकाती सर्कुलर निकाला था,
तमाम स्टेट गवर्नमेंट को हिदायते दी थीं
कि माइनरिटीज के साथ क्या क्या करना
चाहिए। वह सर्कुलर क्या था, उस पर
आज तक स्टेट गवर्नमेंट में क्या अमल
दरामद किया है ?

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव : किस
सर्कुलर के बारे में कह रहे हैं ?

श्री ग़लाम रसूल कार : प्राइम मिनिस्टर
साहिबा की तरफ से एक सर्कुलर निकाला
गया था तमाम स्टेट, मिनिस्टरस के नाम पर
जिसमें माइनरिटीज के बारे में कहा गया
था कि। वह सर्कुलर क्या था, उसमें स्टेट
गवर्नमेंट और मन्कजीज सरकार ने आज तक
क्या किया ? नम्बर दो, क्या होम मिनिस्ट्री
में माइनरिटीज सैल कायम है, यदि
हां, तो उसमें आज तक क्या क्या काम
हुआ है क्या क्या रिकमेंडेशंस की
गई हैं माइनरिटीज के बारे में और वे क्या
इथा करना चाहते हैं ? तीसरी बात यह

कि क्या लिग्विस्टिक कमिशनर की जगह
जो कि 1977 में खाली हो चुकी थी,
आज तक पूरी की गई है ? यदि नहीं तो
क्यों पूरी की गई ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA:
As regards the Prime Minister's
guidelines are concerned, the Prime
Minister has formulated a 15-point
programme for the..... (Interruption)
We are in constant touch
with the State governments and
Union territory administrating and
here we are having one monitoring
cell. That is headed by an Addi-
tional Secretary and is charged with
the responsibility of monitoring the
progress of implementation of the 15-
point programme directed by the
Prime Minister. We get quarterly
reports from the States and Union
territories, and the cell reports to the
Prime Minister about the progress of
implementation.

श्रीमति मंमूना सुल्तान : चेंबरमन साहब
यह सवाल जो माइनरिटीज कमीशन के
बारे में हो रहा है, यह बहुत ही जरूरी
सवाल है। इसके लिए हमारे आनरेबल
मेम्बर ने जो सवाल किया वह सवाल
तो अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से पूछा
है उसके लिए तो मैं कुछ और नहीं कह
सकती सिवाय इसके कि जनता पार्टी ने
यह कमीशन इस्टेबलिश किया था और
पोलिटिकल मोटिलव से किया था।

श्री संयद अहमद हाशमी : पोलिटिकल
मोटिव क्या था ? .. (व्यवधान)

श्रीमति मंमूना सुल्तान : हाशमी साहब
ने मुझे टोक दिया, मैं आपसे कुछ नहीं
कह रही हूँ। अब मुझे कहना पड़ता है
कि—

"अंधेरे में भटकते ही उजाले के लिए
मैंने पहले ही कहा था जला लो मूखको ।"

1978 में जनता गवर्नमेंट ने यह माइनॉरिटीज कमीशन बनाया । बाद में उसका भकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद ही श्रीलंग्का के फसादात हुए । वहां माइनॉरिटीज कमीशन के जो मॅम्बर्स थे उनकी जाने नहीं दिया गया । स्टैच्युटरी पावर्स भी जो हैं जिनके लिए उनकी थकीन दिलाया गया था कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि जिस दिन यह बिल हाउस में आया था उस दिन रूलिंग पार्टी के मॅम्बर मौजूद नहीं थे । वह बात भी हमको याद रखनी है । मैं आपसे सवाल ही करूंगी क्योंकि आप इजाजत नहीं देंगे ज्यादा बोलने की । सवाल यह था कि इनकी जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं वह बहुत ज्यादा बड़ी हैं । इसमें अगर आप रिलीजस ट्रस्ट भी आयेगे तो उसमें जो गुप्स हैं उनके आपस में डिफरेंस हो जाते हैं जैसे अडाप्सन बिल है, फलां है, फलां, है । तो क्या आप इस बात पर गौर करेंगे इसको लिमिट करेंगे कुछ चीजों पर, जैसे मुसलमानों की ऐजुकेशन है ; उनकी सोशियो-इकानामिक प्राबलम, है, फसादात के पीछे क्या सोशियों इकानामिक कंडीशंस रहती है । दूसरे बेग साहब ने यह भी रिकमंडेशन की है कि लीगल ऐक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाए जो तमाम चीजों पर गौर करे कि किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाया जाए ? क्या वह आपने बताया है; आप इस पर गौर करेंगे ? ये मेरे सवाल हैं ।

श्री पी० बी० नरसिम्हा राव : सदर साहब, टर्म्स आफ रेफरेंस को कम करना आसान नहीं होता । मांग तो होती है उसकी और बस इ कीजिए । लेकिन आन्तेबल मॅम्बर ने जो सुझाव दिया है उस पर हम गौर करेंगे और ज्यादा

प्वाइंटेड बनाने के लिए और कमीशन के काम को ज्यादा कारगर बनाने के लिए कोई तजवीज की जा सकती है तो हम गौर करेंगे ।

लेकिन मेरा पहला रिएक्शन यही है कि जहां कहीं टर्म्स आफ रेफरेंस को कम करने की तजवीज होती है, प्रोजेजल होता है तो वह अबाम में काबिले कबूल नहीं होता है बल्कि उसे बसीयत बनाने की मांग हमेशा हुआ करती है । दूसरा जो सवाल उठाया गया है उस पर जल्द गौर करेंगे ।

श्री गूलाम रसूल कार : बनाव.

मेरे दो सवालों का जवाब नहीं आया है । लिक्विडिटी कमिशनर की जगह छः सालों से खाली पड़ी हुई है; उसको भरा नहीं गया है, यह सवाल मैंने पूछा था और दूसरा सवाल यह पूछा था कि क्या होम मिनिस्ट्री में कोई माइनॉरिटीज सैल बना हुआ है ? अगर बना हुआ है तो उसने क्या रिकमंडेशन दी है और उस पर या अमल किया गया है ?

†[شوقی فلم رسول کار: جناب میرے]

دو سوالوں کا جواب نہیں آیا ہے -
لیکویڈیٹی کمشنر کی جگہ چھ سالوں
سے خالی پڑی ہوئی ہے اسکو بھرا
نہیں کیا ہے یہ سوال میں نے پوچھا
تھا - اور دوسرا سوال یہ پوچھا تھا
کہ کیا ہوم منسٹری میں کوئی
مینارٹیٹ سہل بنا ہوا ہے - اگر بنا
ہوا ہے تو اس نے کیا ریکمنڈیشن
دی ہیں اور اس پر کیا عمل کیا
گیا ہے -

[] Transliteration in Arabic script.

श्री पी० वी० नरसिंह राव : देखिये, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स आती हैं, यहां खड़े-खड़े कितनी चीजें मैं बता सकता हूँ? आप मुझे बताइये कि आप क्या क्या तकसिल चाहते हैं। मैं सारी तकसिल देने के लिए तैयार हूँ। सबालों के जवाब देने के सिमिलर में इतनी जल्दी पूरी डिटेल्स का देना मुमकिन नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Going round and round the mulberry bush.

342. [The questioner (Shri Satya Prakash Malaviya) was absent. For answer vide col. 43-44 infra]

*343. [The questioner (Shri Chimbalbhai Mehta) was absent. For answer vide col. 45 infra.]

*344. [The questioner (Shri Pyarelal Khandelwal) was absent. For answer vide col. 45-46 infra.]

Economy-Model Colour T.V. Sets

34S. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI S. W. DHABE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the economy model colour TV sets priced at about Rs. 5000/- is yet to arrive in the market, in spite of advance booking done six months back;

(b) whether it is a fact that the three public sector undertakings in the field have failed to produce and deliver sets at these prices;

(c) whether it is also a fact that whereas the Electronics Corporation of India Limited (ECIL) has yet to deliver a single set, the UPTRON which had introduced the economy model colour TV sets in Delhi and UP regions had to withdraw those

*The question was actually asked <sn the floor of the House by Shri Suresh Kalmadi.

sets on account of technical defects and whether the supply by the K>1-tron is erratic;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) whether it is a fact that the major cause of the delay is the non-availability of colour picture tubes by ETTDC, and if so, what action is being taken to provide picture tubes early and in sufficient quantities?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M. S. SANJEEVI RAO): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) All the three public sector companies in the field have commenced regular production from March 1984. Till the end of July 1984, ECIL has supplied 3700 sets; UPTRON 6236 sets and KELTRON produced 1906 sets. Based on the reduction in customs and excise forming part of the 'Measures to further accelerate the development of the electronics industry' announced by Government in August 1983, Government have felt that CTV sets of 51 cm. size should be available for around Rs. 5,000 plus local taxes. Above referred sets are being marketed at the following prices, which include 3 months' warranty:

	Rs.
ECIL	5150 + local taxes (spectra)
	5650 + local taxes (spectra-super)
UPTRON	5106 + local taxes
KELTRON	5405 + local taxes

It is therefore not a fact that the 3 public sector undertakings have failed to produce and deliver sets around the anticipated price.